कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–356/सी0ई0ओ0–2–32/2–2019 लखनऊ दिनांक:07जुलाई, 2021

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: **List of disqualified persons u/s 10-A of the Representation of the People Act, 1951 -Supplementary List- Ragarding.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–102/सीईओ–2–32/2–2019 दिनांक 24 फरवरी, 2021 के साथ संलग्न आयोग के पत्र संख्या–116/ECI/EEM/CEMS-I/FUN/DISQ/2021 दिनांक 17 फरवरी, 2021, पत्र संख्या–136/सीईओ–2–32/2–2019 दिनांक 03 मार्च, 2021 के साथ संलग्न आयोग के पत्र संख्या–116/ECI/EEM/CEMS-I/FUN/DISQ/2021 दिनांक 26 फरवरी, 2021 के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–116/ECI/EEM/CEMS-I/FUNC/DISQ/2021 दिनांक 05 जुलाई, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–10क के अधीन निरर्हित घोषित किये गये व्यक्तियों से संबंधित Supplementary List भेजी है तथा यह अवगत कराया है कि उक्त Supplementary List को आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर Judicial Reference.> List of Disqualified persons-> Supplementary List शीर्षक के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

3– आयोग के उक्त निर्देशों के क्रम में Supplementary List की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के निर्देशों को समस्त रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या–356(1)/सी0ई0ओ0–2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को उनके पत्र संख्या–116/ECI/EEM/CEMS-I/FUNC/DISQ/2021 दिनांक 05 जुलाई, 2021 के सन्दर्भ में।

2– प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।

3– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– प्रभारी, कम्प्यूटर कक्ष, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।